रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 1975/भाद्र 17, 1897

No. 347] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 1975/BHADRA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th September 1975

S.O. 478(E).—In pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 208 (E), dated the 16th May, 1975, the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1975 as the date on which the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), shall come into force in the State of Sikkim.

[No. 10/2/75-DGCD(CD)]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1975

का०आ० 478 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 208 (अ), तारीख 16 मई, 1975 के अनुसरण में 1 अक्टूबर, 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) सिक्किम राज्य में प्रवृत्त होगा।

[सं० 10/2/75-डी० जी० सी० डी० (सी० डी०)]

S.O. 479(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Central Government hereby directs that the Civil Defence Rules 1968 shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the 1st day of October, 1975.

[No. 10/2/75-DGCD(CD)]

का०आ० 479 (अ).—केन्द्रीय सरकार, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 का सिक्कम राज्य में विस्तार तथा प्रवर्तन 1 अक्टूबर, 1975 को होगा।

[सं० 10/2/75-डी० जी० सी० डी० (सी० डी०)]

S.O. 480(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Central Government hereby directs that the Civil Defence Regulations, 1968 shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the 1st day of October, 1975.

[No. 10/2/75-DGCD(CD)]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

का०आ० 480 (अ).—केन्द्रीय सरकार, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 का सिक्कम राज्य में विस्तार तथा प्रवर्तन 1 अक्टूबर, 1975 को होगा।

[सं० 10/2/75-डी० जी० सी० डी० (सी० डी०)]

सी० जी० सोमैया, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975